न्यायालय में, श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

रजिस्टर्ड

149

निग - 2540 - II - 16

(1) श्रीमती शशी सिंह पत्नी रज्जन सिंह,

(2) श्रीमती ममता सिंह पत्नी बच्चन सिंह,

(3) श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी उमाशंकर सिंह,

सभी निवासी ग्राम कुदरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) ----- निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ----- गैर निगराकार

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
20 JUL 2016
शाखा अधीक्षक
कलेक्टर

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर कमिश्नर संभाग शहडोल के रा.प्र.क्र. 60/निगरानी/2013–14 आदेश दिनांक 25/02/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–रा.स. 1959

महोदय,

मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

6-7-16

यहकि, ग्राम कुदरी, तहसील सोहागपुर स्थित आराजी खसरा क्र. 366 रकवा 1.89 एकड़, खसरा क्र. 368/1 रकवा 3.76 एकड़ एवं खसरा क्र. 368/2 रकवा 1.00 एकड़ को निगरानीकर्तागण द्वारा विधिवत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 25/04/2007 को क्रय कर कब्जादखल प्राप्त किया है तथा उक्त वर्णित आराजी निगरानीकर्तागण द्वारा मु. रामवती वगैरह निवासी सोहागपुर से क्रय किया गया है।

7-7-16

यहकि, विक्रेता मु. रामवती वगैरह के पूर्व उक्त वर्णित आराजी के भूमिस्वामी पट्टेदार रामसुन्दर पिता रामगोपाल बानी वर्ष 1970–71 से निरन्तर थे, तब वर्ष 1970–71 के पूर्व उक्त वर्णित आराजी के भूमिस्वामी मालिक धनंजय सिंह पिता भगवती प्रताप सिंह थे, जो वर्ष 1954–55 के पूर्व से भूमिस्वामी पट्टेदार थे एवं उक्त वर्णित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 196 व 198 है। अर्थात् उक्त वर्णित आराजी वर्ष 1954–55 के पूर्व से भूमिस्वामी स्वत्व पर निरंतर दर्ज चली आ रही है।

यहकि, प्रथम विचारण न्यायालय द्वारा दुर्भावनावश तहसीलदार से मौखिक आदेश के द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2
भाग–अ

प्र.क्र.–निग.–2540–दो / 2016 जिला–शहडोल

शशि सिंह विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–01–19	आवेदिकागण की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारस्वत उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र. क्र. 60 / निगरानी / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25–02–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कुदरी स्थित आराजी खसरा नंबर 366 रकबा 1.89 एकड़, 368/1 रकबा 3.76 एकड़, 368/2 रकबा 1.00 एकड़ आवेदिकागण के नाम भूमिस्वामित्व में दर्ज थी। तहसीलदार सोहागपुर द्वारा दिनांक 20–08–2010 को ग्रामीण जन की शिकायत की जांच करने पर पाया कि उक्त भूमि भीठा तालाब दर्ज है । भीठा एवं तालाब का पट्टा देने का अधिकार किसी भी राजस्व अधिकारी को प्राप्त नहीं है और इसी कारण तहसीलदार सोहागपुर ने कलेक्टर शहडोल को उचित कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन पेश किया । कलेक्टर शहडोल द्वारा प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर	

1/3

14.01.19

पाया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिकागण का अधिपत्य है किन्तु आवेदिकागण को उक्त भूमि कब और कैसे प्राप्त हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। तहसीलदार सोहागपुर ने प्रतिवेदन में सिर्फ यह उल्लेख किया है कि तालाब, भीठा का आदि भूमियों का पट्टा, व्यवस्थापन या पट्टा देने का अधिकार किसी को नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय तालाब भीठा दर्ज किया जाना उचित होगा। अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर द्वारा भी अनुमोदन किया गया जाकर उक्त प्रकरण अग्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर शहडल ने आवेदिकागण को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी कर रीवा राज्य कानून माल 1935 के अनुसार जवाब चाहा। आवेदिकागण ने कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर जवाब एवं अभिलेख प्रस्तुत किया, किन्तु जिन विधिक बिन्दुओं पर जवाब चाहा गया था, आवेदिकागण उन बिन्दुओं का जवाब देने में असमर्थ रहीं। क्योंकि रीवा राज्य कानून माल 1935 के अनुसार निरस्तारू तालाब भीठा का पट्टा दिये जाने का अधिकार पवाईदार या इलाकेदार को नहीं था तथा निस्तारू तालाब स्वमेव दिनांक 02–10–1959 के पश्चात् शासन में वेष्टित हो चुके है। इसके अतिरिक्त आवेदिकागण ने न तो इस न्यायालय में और न अधीनस्थ न्यायालयों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त भूमि (तालाब/भीठा) का पट्टा कब और कैसे प्राप्त हुआ तथा किस के द्वारा पट्टा प्रदान किया गया, क्या उसे पट्टा देने का अधिकार था। कलेक्टर शहडोल ने उचित निष्कर्ष निकालते हुये दिनांक 26–08–2010 को अंतरिम रूप से प्रश्नाधीन भूमियों को मध्यप्रदेश शासन दर्ज

14.01.2019

करते हुये क्रय–विक्रय पर रोक लगायी, तथा दिनांक 29–08–2011 से अंतिम आदेश पारित किया, जिसे अपर आयुक्त शहडोल ने भी उचित माना है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर.के. जैन) 14.01.2019
सदस्य

3|3